(mail)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन (म.प्र.)

//निविदा आमंत्रण सूचना//

कमांक 802 /दो–02–12/1978 रायसेन दिनांक : 28/01/2024

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि तहसील न्यायालय बेगमगंज जिला रायसेन के परिसर में स्थित कैन्टीन के संचालन हेतु इच्छुक संस्थाएं, व्यक्ति एवं कम्पनी से बंद निविदा प्रस्ताव आमंत्रित की जानी है। निविदा की शर्तें संबंधी निविदा प्रलेख मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc. gov.in पर टेण्डर के कॉलम में उपलब्ध हैं। इच्छुक संस्थाएं/व्यक्ति/कंपनी अपना आवेदन निविदा शर्तों के संबंध में सहमति दर्शाते हुये दिनांक 08.03.2024 (सार्वजनिक अवकाश छोडकर) तक सायं 5:00 बजे तक कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन में जमा कर सकते हैं, निविदा शर्तो का प्रारूप बेबसाइट से डाउनलोड करके अथवा नजारत अनुभाग रायसेन या बेगमगंज प्राप्त कर सकते हैं।

निविदा दिनांक 09.03.2024 (दिन–शनिवार) को समय प्रातः 11:00 बजे स्थापना में गठित कमेटी एवं निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोली जावेगी। उक्त समय में निविदाकर्ता यदि उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो वह किसी अन्य को प्रतिनिधि के रुप में अधिकार पत्र के साथ उपस्थित होने के लिये संसूचित कर सकते हैं, किंतु अनुपस्थिति की दशा में किसी भी प्रकार की, की गई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

27/2/2024

अनिल कुमार सोहाने
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायसेन, म0प्र0

पृ0कं0 803/दो–02–12/1978 रायसेन दिनांक : 28/02/2024

यथानिर्देशानुसार प्रतिलिपि :–

1. जिला जनसंपर्क अधिकारी रायसेन उपरोक्तानुसार निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा फार्म स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने एवं प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग रायसेन/बेगमगंज की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि तहसील बेगमगंज जिला रायसेन में केंटीन निविदा आमंत्रण सार्वजनिक स्थल, बाजार, स्टेण्ड, न्यायालय के सूचना पटल पर चस्पा करावें।
3. जिला नाजिर रायसेन, बेगमगंज केंटीन के संबंध में प्राप्त होने वाली सीलबंद निविदाओं को सूचना के प्रकाशन से दिनांक 08.03.2024 (सार्वजनिक अवकाश छोडकर) के सायं 5:00 बजे तक प्राप्त करेगें तत्पश्चात् उसी दिनांक को जिला छानबीन समिति को प्रस्तुत करेगें।
4. अध्यक्ष जिला छानबीन समिति रायसेन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जे0एस0ए0 जिला न्यायालय रायसेन, उपरोक्त निविदा आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0जबलपुर की बेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला रायसेन

तहसील न्यायालय बेगमगंज जिला रायसेन के परिसर में स्थित कैन्टीन कक्ष में संचालन हेतु निविदा फार्म एवं शर्ते

प्रथम पक्ष :— निविदाकर्ता का
नाम ....
पता ....
....
मोबा. नं. ....

द्वितीय पक्ष :— कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन म0प्र0

तहसील न्यायालय बेगमगंज जिला रायसेन स्थित स्थित कैन्टीन के संचालन हेतु निविदकार्ताओं से 01 वर्ष की अवधि हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन निविदाएं विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैः—

//निर्धारित शर्ते//

01— निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद निविदाएं प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग रायसेन के नाम से दिनांक 08.03.2024 के सायंकाल 5:00 बजे तक (सार्वजनिक अवकाश छोडकर) स्वीकार की जावेगी, इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

02— अनुज्ञा शुल्क तहसील न्यायालय बेगमगंज जिला रायसेन स्थित कैन्टीन 23x30 वर्गफीट हेतु न्यूनतम किराया 8500/— शब्दों में आठ हजार पांच सौ रूपया प्रतिमाह निर्धारित है।

03— निविदाकर्ता द्वारा निविदा के साथ कैन्टीन संचालन हेतु रुपये 8500/— राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट अमानत के रुप में अग्रिम द्वितीय पक्ष के हित में देय होगा। जो जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार की जायेगी, उक्त निविदकर्ता की राशि अमानत के रुप में एक वर्ष के लिये द्वितीय पक्ष के पास सुरक्षित जमा रहेगी तथा शेष निविदाकर्ताओं जिनकी निविदाएं असफल होगी, उनकी राशि निविदा की चयन प्रकिया के पश्चात् मूलतः निविदाकर्ता को वापस की जावेगी।

04— निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बंद निविदाएं, दिनांक 09.03.2024 (दिन—शनिवार) को समय प्रातः 11:00 बजे छानबीन समिति जिला न्यायालय रायसेन, के समक्ष निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोली जाकर अंतिम रुप दिया जावेगा, जिस पर अधिकतम राशि अंकित करने वाली निविदाकर्ता की निविदा मान्य होगी।

05— निविदा स्वीकार होने के फलस्वरुप, निविदाकर्ता को 2 माह की अग्रिम किराया राशि ऑनलाईन ई—पेमेण्ट/चालान के माध्यम से कैन्टीन कक्ष के संचालन के एक सप्ताह पूर्व अनुबंध सहित द्वितीय पक्ष "कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन" के हित में जमा कराना होगा, आगामी शेष माह की राशि प्रथम 2 माह समाप्त होने के 15 दिवस शेष रहने के पूर्व जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

06— कैन्टीन, जिस निविदाकर्ता के पक्ष में अंतिम रुप से स्वीकार होती है, एक वर्ष के संचालन के उपरांत यदि वह आगामी एक वर्ष के लिये पुनः संचालन चाहता है, तो

पूर्व से निर्धारित किराये में 10 प्रतिशत की वृद्धि पर देय होगी, जिसके लिये निविदाकर्ता को संचालन अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

07— निविदाकर्ता द्वारा निविदा शर्तो के अधीन लिये गये कैन्टीन कक्ष, एक वर्ष की अवधि के लिये होगी, यदि निविदाकर्ता द्वारा एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व संचालन बंद किया जाता है अथवा निविदा की शर्तो का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुप से किन्हीं भी परिस्थितियों में उल्लंघन किया जाता है तो, अमानत के रुप में जमा राशि जप्त/राजसात की जाकर शासन के हित में जमा की जावेगी।

08— प्रथम पक्ष/द्वितीय पक्ष के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद होने पर विवाद का क्षेत्राधिकार/निराकरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन को होगा, जो प्रथम पक्ष पर बंधनकारी होगा।

09— निविदाकर्ता द्वारा कैन्टीन के संचालन के संदर्भ में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष से अनुमति लिये बगैर किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन कार्य नहीं करेगा, ऐसा किये जाने पर अनुज्ञा प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।

10— निविदाकर्ता स्वच्छता/साफ–सफाई/पादर्शिता के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी होंगे, किन्ही भी परिस्थितियों पर उपरोक्त के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर अनुज्ञा निरस्त/समाप्त की जा सकेगी।

11— कैन्टीन संचालनकर्ता के विद्युत के निस्तारण/विस्तारण के संबंध में स्वयं के नाम से नियमानुसार विद्युत कनेक्शन/मीटर का संयोजन कराया जाकर, भुगतान सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

12— निविदा के साथ निविदाकर्ता के अनुभव संबंधी प्रमाण–पत्र "यदि उसने पूर्व में कैन्टीन का कार्य किया हो" उक्त अनुभव आदि को समिति द्वारा अतिरिक्त योग्यता मानते हुये प्राथमिकता दी जा सकेगी।

13— विक्रय योग्य वस्तुओं की दरें कैन्टीन परिसर के सदृश्य भाग पर प्रदर्शित करने का उत्तरायित्व भी प्रथम पक्ष का होगा। निविदाकर्ता द्वारा खाद्य सामग्री की दरे द्वितीय पक्ष से अनुमोदित करवाई जायेगी तथा ऐसा दर बाजार रेट से अधिक नहीं होगा एवं अनुमोदित दरों पर ही मानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय की जावेगी।

14— कैन्टीन संचालकर्ता को कैन्टीन का संचालन कार्य दिवसों में प्रातः 9:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक ही निर्धारित रहेगा। यदि बिना किसी पूर्व सूचना दिये कार्य दिवस में कैन्टीन का संचालन बंद होना पाया जाता है तो 1000/— रुपये प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जावेगी।

15— निविदाकर्ता कैन्टीन के संचालन के दौरान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण/संचालन नहीं किया जायेगा। निविदाकर्ता द्वारा कैन्टीन संचालन में ऐसा अस्थायी निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, पूर्व में प्रधान जिला न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुये अनुमोदित करवाने के उपरांत ही कर सकेंगे जो शासकीय संपत्ति को क्षति कारित करने वाला न हो किन्हीं कारणों से यदि द्वितीय पक्ष अस्थाई निर्माण के हटाने का आदेश देगा तो निविदाकर्ता अपने अस्थाई निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटायेगा।

16— न्यायालय परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियां एवं मादक पदार्थो अथवा दृव्यों जैसे धूम्रपान, तम्बाकू, बीडी, सिगरेट इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, संलिप्त पाये जाने पर विधि अनुसार संचालनकर्ता के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जावेगी।

17— कैन्टीन संचालनकर्ता द्वारा बंद निविदा के साथ पहचानपत्र जैसे कि मदतादा परिचय पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

18— कैन्टीन संचालन हेतु अनुबंध 500/—रुपये के स्टाम्प में मान्य होगा, जो प्रथम पक्ष के लिये बंधनकारी होगा एवं निविदाएं सफल होने पर सफल निविदाकर्ता को 15 दिवस के अंदर अनुबंध पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

"मुझे निविदा की समस्त शर्ते स्वीकार हैं।"

स्थान :—

दिनांक :—

हस्ताक्षर..

नाम..

पता...

निविदा—कर्ता/प्रथम पक्ष